

हरियाणा सरकार  
पर्यटन विभाग ।  
अधिसूचना

दिनांक : 12.07.2016

क्रमांक TM/AP-I/2016/2619 - हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा राज्य के तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इसके द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा 2016 को सूत्रित करते हैं:-

1	संक्षिप्त नाम तथा आरम्भ होने की तिथि	1) यह स्कीम कैलाश मानसरोवर यात्रा स्कीम 2016 कहलाई जाएगी। 2) यह योजना 01 अप्रैल 2016 से लागू होगी तथा इस दिनांक के पश्चात यात्रा करने वाले आवेदकों को ही वित्तीय सहायता देय होगी।
2	योजना का उद्देश्य	1) भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के माध्यम से कैलाश मानसरोवर की सफलतापूर्वक यात्रा सम्पन्न करने वाले हरियाणा के स्थाई निवासियों को 50 यात्रियों तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 2) यात्रा पर वास्तव में खर्च हुई राशि का 50 प्रतिशत या 50,000 रुपये जो भी कम होगा की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
3	परिभाषाएं	1) 'प्रशासकीय सचिव' से अभिप्राय है प्रधान सचिव हरियाणा सरकार पर्यटन विभाग। 2) 'निदेशक' से अभिप्राय है महानिदेशक/ निदेशक पर्यटन विभाग हरियाणा। 3) 'पात्र तीर्थयात्री' से अभिप्राय है कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के माध्यम से यात्रा पूर्ण करने वाले हरियाणा के स्थायी निवासी। 4) 'सरकार' से अभिप्राय है प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार।
4	आवंटन की प्रक्रिया	1) भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले श्रद्धालु यात्रा समाप्ति के दो माह के अन्दर अपना आवेदन महानिदेशक, पर्यटन विभाग के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। 2) निदेशक, पर्यटन विभाग, तीर्थ यात्री

		<p>से प्राप्त दस्तावेजों का मूल से मिलान कर सही पाने पर इस आशय का नोट अंकित करके 15 दिन के अन्दर मामले को अनुमति हेतु अग्रेषित करेंगे।</p> <p>3) उपरोक्त अनुमति उपरान्त डिमांड ड्राफ्ट द्वारा वित्तीय सहायता जारी करने हेतु वांछित स्वीकृति जारी की जाएगी।</p>
5	योजना की शर्तें/पात्रता	<p>1) इस योजना का लाभ केवल हरियाणा के मूल स्थायी निवासियों को ही दिया जाएगा।</p> <p>2) कैलाश मानसरोवर यात्रा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के माध्यम से की जानी होगी एवं यात्रा समाप्ति के पश्चात भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा सफलतापूर्वक यात्रा सम्पन्न किये जाने का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा।</p> <p>3) तीर्थयात्री को यह वित्तीय सहायता केवल एक बार ही दी जाएगी।</p>
6	आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज	<p>निर्धारित प्रपत्र में आवेदन(अनुबंध 'ए') महानिदेशक, पर्यटन विभाग को निम्न दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किया जाना वांछित होगा:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. हरियाणा के मूल निवासी प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटो प्रति।</li> <li>2. भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से यात्रा सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटो प्रति।</li> <li>3. तीर्थयात्री की घोषणा, कि उसने इस यात्रा के लिए पहले कभी वित्तीय सहायता के लिए दावा प्रस्तुत नहीं किया है और न ही भविष्य में करेगा।</li> <li>4. वीजा व पासपोर्ट की सत्यापित फोटो प्रति।</li> </ol>
7	स्वीकृतिकर्ता अधिकारी/कार्यालय जहां राशि आवंटित की जानी है।	<p>निदेशक पर्यटन विभाग हरियाणा, एस.सी. ओ. 17-19, सैक्टर-17 बी, चण्डीगढ़।  फोन:- 0172.2702955-56  Email id : <a href="mailto:haryanatourism@gmail.com">haryanatourism@gmail.com</a></p>

डा० सुमिता मिश्रा  
प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,  
पर्यटन विभाग चण्डीगढ़।

**कैलाश मानसरोवर यात्रा 2016 के लिए वित्तीय  
सहायता हेतु आवेदन का प्रारूप**

पर्यटन विभाग हरियाणा  
चण्डीगढ़।

आवेदक का फोटो

**विषय:-** कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु सहायता अनुदान स्वीकृति के क्रम में।

1	आवेदक का नाम	
2	पिता/पति का नाम	
3	जन्म दिनांक	
4	वर्तमान पता टेलीफोन सहित	
5	कैलाश मानसरोवर यात्रा की अवधि	
6	कैलाश मानसरोवर यात्रा पर हुआ खर्च (प्रमाण सहित)	
7	संलग्नक की सत्यापित प्रति i) हरियाणा के मूल निवासी होने के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ii) भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के माध्यम से सफलतापूर्वक यात्रा सम्पन्न करने का प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति। iii) तीर्थयात्री की घोषणा, कि उसने इस यात्रा के लिए पहले कभी वित्तीय सहायता के लिए दावा प्रस्तुत नहीं किया है और न ही भविष्य में करेगा। iv) वांछित वीजा व पासपोर्ट की सत्यापित प्रति।	

दिनांक .....

आवेदक के हस्ताक्षर

**घोषणा**

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में प्रदान की गई सूचना सत्य है। इसमें मेरे द्वारा कोई जानकारी छिपाई नहीं गई है। उल्लेखित विवरण में किसी भी तथ्य के मिथ्या प्रकट होने पर सहायता राशि विभाग में जमा कराने का उत्तरदायित्व मेरा होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

**घोषणा फार्म**

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी.....  
निवासी ..... सत्यनिष्ठा के साथ प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैंने कैलाश मानसरोवर यात्रा दिनांक ..... से ..... तक पूर्ण की है तथा इसके लिए मैं प्रथम बार वित्तीय सहायता के लिए दावा प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर

केवल कार्यालय उपयोग हेतु

उपरोक्त कर्म संख्या 1 से 7 में दी गई सूचना तथा संलग्न दस्तावेजों का, तीर्थयात्री से प्राप्त मूल दस्तावेजों के साथ मिलान किया गया तथा सूचना सही पाई गई है।

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता  
पर्यटन विभाग हरियाणा।

## घोषणा फार्म

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी.....  
निवासी ..... प्रमाणित  
करता/करती हूं कि मैंने कैलाश मानसरोवर यात्रा दिनांक ..... से  
..... तक पूर्ण की है तथा इसके लिए मैं प्रथम बार वित्तीय  
सहायता के लिए दावा प्रस्तुत कर रहा/रही हूं।

आवेदक के हस्ताक्षर